राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रमुख शासन सचिव, विधि

आदेश

राजस्थान विधि सेवा अधिकारियों द्वारा अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन विधि एवं विधिक कार्य विभाग में संचालित ग्रुप LLAD_Admin_ACR_Group का ही चयन कर प्रविष्टि किया जाना चाहिये। परन्तु यह देखा गया है कि कई विधि सेवा अधिकारियों द्वारा अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन हेतु विधि एवं विधिक कार्य विभाग में संचालित अन्य ग्रुप Law_ACR और Directorate_Litigation_ACR_Group में से किसी का भी चयन कर दिया जाता है। अलग–अलग ग्रुप में वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के चयन के कारण संबंधित अधिकारी के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन संकलन करने में समस्या आती है तथा अनावश्यक समय लग जाता है।

अतः समस्त विधि सेवा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन की ऑनलाईन प्रविष्ट करते समय विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा संचालित LLAD_Admin_ACR_Group ग्रुप का ही चयन करना सुनिश्चित करें।

उप शासन सचिव

समस्त विधि सेवा अधिकारी

क्रमांकः पीएस/पीएलएस/2/24/5039

जयपुर दिनांकः 27-09-24